अति आवश्यक/समय बद्ध

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0,
श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांकः स्था/04/2024/1479-1531 दिनांकः 14/01/25

विषयः– **ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय मुख्यालय के पत्र क्रमांक 2780–330, दिनांक 02.01.2025 के संदर्भ में ।

जैसाकि आपको विदित है कि विभाग में श्रम निरीक्षकों, सहायकों व लिपिकों के स्थानान्तरण हेतु On Line Transfer Drive अमल में लाई जा रही है। जिसके लिये दिनांक 13.01.2025 तक सभी डी0डी0ओ0 द्वारा कर्मचारियों का स्कोरा वैरीफाई उपरांत फ्रिज किया जाना था, परन्तु एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का अवलोकन करने पर पाया गया कि 48 श्रम निरीक्षकों, 26 सहायकों व 57 लिपिक का सम्बन्धित डी0डी0ओ0 द्वारा डाटा आज तक फ्रिज नहीं किया है, जो कि मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना दर्शाता है।

अतः स्कोर फ्रिज की तिथि 14.01.2025 तक बढ़ाते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि आप तय समय सीमा में श्रम निरीक्षकों, सहायकों व लिपिकों का डाटा फ्रिज करें अन्यथा मामला उचित कार्यवाही हेतु माननीय श्रम आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि स्थानान्तरण नीति अनुसार 2 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि वाले इच्छुक कर्मचारी स्थानान्तरण ड्राईव में भाग ले सकते है, जिसके लिए इन्ट्रा हरियाणा पर दिनांक 14.01.2025 से 16.01.2025 विकल्प खोला जा चुका है। इसलिये आप इस बारे भी अपने अधीनस्थ सम्बन्धित कर्मचारियों को अवगत करवायें।

सहायक श्रम आयुक्त (स्था0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

D:\Neelam Data\2021 New noting\Draft (2).docx